

ग्राम स्वराज (लोक शक्ति योजना)

प्रस्तुतकर्ता
मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
अमरकण्टक

संलग्न : मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना का
अध्ययन क्रम

ग्राम स्वराज— लोक शक्ति योजना

परिचय

आज मेघावीयों में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसी लोकशक्ति तैयार हो जो स्वयं अपनी समस्याओं को दूर करें एवं स्वयं ही स्थानीय प्रबंधन कार्य करे । इसके लिये स्थानीय लोगों की समितियां बनायें और उन्हें अधिक अधिकार देने की चर्चा तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गये हैं । पंचायती राज ग्राम स्वराज का सम्पूर्ण कार्यक्रम भी इसी मानसिकता के आधार पर निश्चित किया गया है ।

इस बिन्दु पर हमारा निष्कर्ष यह है कि मनुष्य समझदार होकर ही उपरोक्त कार्य को कर पाता है । जब तक मनुष्य समझदार नहीं हो पाता है जब तक समस्या का ही कारक होता है । समझदार मानव भोग, संग्रह, शोषण, विरोध और विद्रोह मानसिकता से मुक्त होकर सम्पूर्ण व्यवहार करने की क्षमता सम्पन्न होता है एवं मानवीय व्यवस्था के सभी आयामों में भागीदारी करता है ।

कार्य और परिणाम :—

1. स्वायत्त परिवार, स्वायत्त समाज, स्वयं स्फूर्त व्यवस्था की परंपरा ।
2. ग्रामीण अंचल में बौद्धिक और भौतिक विपन्नता उन्मूलन ।
3. मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व व्यवस्था में पिछड़े व्यक्ति के लिये जागृति सहज कार्यक्रम जिससे मौलिक अधिकारों को पहचानकर कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें ।
4. सामाजिक न्याय सुलभता—परस्पर तृप्ति के अर्थ में सार्थक होने का कार्यक्रम— मानव तथा मानवीयता के आधार पर समानता का अनुभव करने के लिये कार्यक्रम ।
5. नशा मुक्ति ।
6. सामान्य रोग (ज्वर, खांसी, सर्दी, पीलीया, अर्जीण आदि) एवं विशेष रोग (दमा, चर्मव्याधि, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, यकृत रोग, रक्तचाप आदि) निवारण ।
7. अनाथ बच्चों को मानवीय व्यवस्था में जीने योग्य कार्यक्रम ।
8. देह—व्यापार मुक्ति ।
9. नर—नारी में समान मौलिक अधिकार स्थापना एवं नारी उत्पीड़न का उन्मूलन ।
10. कैदी और विचाराधीन बंदी के परिवार को सान्त्वना व राहत कार्य ।
11. जनसंख्या नियंत्रण प्रवृत्ति के उदय के लिये कार्यक्रम ।
12. पर्यावरण संतुलन— जल, भूमि, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण द्वारा ।

उद्देश्य

1. प्रत्येक व्यक्ति में समाधान, सामाजिकता और स्वालम्बन प्रमाणित होना :-
 - (अ) समाधान का तात्पर्य स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था का बोध (समझ) होना ।
 - (ब) सामाजिकता का तात्पर्य मानव संबंधों की पहचान, समाज मूल्यों का निर्वाह एवं परस्पर मूल्यांकन पूर्वक उभयतृप्ति प्रमाणित होना ।
 - (स) स्वालम्बन का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और सेवा की मानसिकता एवं व्यावसायिक निपुणता-कुशलता प्रमाणित होना ।
2. प्रत्येक परिवार में समृद्धि प्रमाणित होना । समृद्धि का तात्पर्य परिवार की आवश्यकता से अधिक उपयोगी वस्तुओं को उत्पादन और सेवापूर्वक प्राप्त करना ।
3. समाज में अभय व सह-अस्तित्व प्रमाणित करना ।
 - (अ) अभय का तात्पर्य स्वास्थ्य-संयम सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा व न्याय (व्यक्ति के सम्मान) की सुरक्षा उपलब्ध होना ।
 - (ब) सह-अस्तित्व का तात्पर्य संतुलन को बनाए रखना ।

विधि

शिक्षण व प्रशिक्षण पूर्वक पूर्व उल्लेखित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा । सर्वप्रथम मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक द्वारा शिक्षकों को तैयार किया जाएगा । ऐसे शिक्षक स्थानीय बच्चों का नियमित शिक्षा देंगे एवं युवा प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों को "जीवन विद्या" शिविर द्वारा समाधानित, स्वावलम्बी और साक्षर होने के लिये प्रशिक्षण देंगे । सभी शिक्षक समाधानित, सामाजिक, स्वावलम्बी और साक्षर होंगे । ये शिक्षकगण शिक्षण प्रशिक्षण के लिये वेतन नहीं लेंगे ।

शिक्षक स्वावलम्बी रहकर शिक्षा प्रदान करने के लिये अभिभावक विद्यालय होगा । जिससे स्वावलम्बन के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा । इन्हीं संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों को स्वावलम्बन का प्रशिक्षण देने के लिये किया जायेगा । सभी स्थानीय लोग व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य क्षमता सम्पन्न होने पर पांच समितियां बनाई जायेंगी ।

- (1) शिक्षा संस्कार समिति – यह समिति सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करे ।
- (2) न्याय-सुरक्षा समिति – क्षेत्र के सभी लोगों को न्याय सुलभ कराने एवं प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।
- (3) स्वास्थ्य संयम समिति : स्थानीय सभी लोगों के स्वास्थ्य संयम की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।
- (4) उत्पादन कार्य समिति :- स्थान विशेष में उत्पादन के अवसर, संभावना तथा तकनीकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।
- (5) विनिमय कोष समिति :- शोषण मुक्त विनिमय एवं भविष्य के लिये आवश्यक वस्तुओं का कोष बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी । इन सभी समितियों के सदस्य समाधानित, सामाजिक स्वावलम्बी एवं अवैतानिक होंगे ।

इन सभी समितियों में तालमेल को सुनिश्चित करने के लिये एक सभा का गठन किया जाएगा जिसमें परिवार के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे ।

अभिभावक विद्यालय

शिक्षक :- प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक 20 से 30 विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिये एक शिक्षक का प्रावधान होगा ।

संसाधन :-

1. प्राथमिक शाला के छः कमरों का विद्यालय भवन ।
2. न्यूनतम छः शिक्षकों को सपरिवार रहने के लिये आवासीय व्यवस्था ।
3. कर्मशाला ।
4. गोशाला दुधारू गाय व बैल सहित ।
5. 20-25 एकड़ कृषि योग्य भूमि ।
6. कृषि के सामान्य यंत्र और उपकरण ।
7. जल व विद्युत की सुविधा ।
8. गोबर गैस संयंत्र, और ऊर्जा, पवन शक्ति यंत्र सौर उपकरण ।

इन संसाधनों का स्वामित्व "अभिभावक विद्यालय" का होगा । यह किसी की निजी सम्पत्ति नहीं होगी ।

विद्यालय स्थापित होने के बाद इसकी सुरक्षा व देखभाल का दायित्व शिक्षा- संस्कार समिति का होगा । स्थानीय प्रत्येक परिवार इसे बनाए रखने के लिये एक न्यूनतम राशि देकर भागीदारी का निर्वाह करेंगे ।

कार्य और योजना

लोक शक्ति योजना पांच चरणों में पूरी होगी ।

प्रथम चरण :-

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वक स्थानीय शिक्षकों को तैयार करेगा । प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर सामान्यतः 5 शिक्षक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होगा । प्रथम चरण में ही अभिभावक विद्यालय का निर्माण पूरा होगा ।
अनुमानित समय— एक वर्ष

द्वितीय चरण :-

प्रशिक्षित शिक्षक एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक साथ मिलकर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेंगे ।

- (अ) शाला में विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक) दी जायेगी । प्रथम वर्ष में एक साथ कक्षा और एक और दो प्रारम्भ किया जायेगा । प्रत्येक वर्ष एक-एक कक्षा बढ़ाते हुए 4 वर्षों में कक्षा 5 तक शिक्षण कार्य सम्पन्न होगा ।
- (ब) शिक्षकगण स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करेंगे । क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रहेगा ।

अनुमानित समय— 2 वर्ष

तृतीय चरण :-

स्थानीय प्रशिक्षित लोक शक्ति, प्रशिक्षित शिक्षक और मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगे :-

- (1) न्याय सुरक्षा समिति
 - (2) स्वास्थ्य संयम समिति
- (प्रथम चरण के बाद ही शिक्षकों के रूप में शिक्षा संस्कार समिति कार्यरत् हो पाएगी ।)

अनुमानित समय - 1 वर्ष

चतुर्थ चरण :-

पूर्व में निर्धारित तीनों समितियों एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगे ।

- (1) उत्पादन कार्य समिति
- (2) विनिमय कोष समिति

अनुमानित समय - एक वर्ष

पंचम चरण :-

पांचों समितियां एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर 'स्थानीय सभा' का गठन करेंगे । स्थानीय सभा व पांचों समितियों के सदस्य मिलकर व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य स्वयं स्फुर्त विधि से करेंगे ।

मूल्यांकन

मूल्यांकन पांच बिन्दु पर किए जायेंगे :-

1. शिक्षा संस्कार
2. स्वास्थ्य संयम
3. न्याय सुरक्षा
4. उत्पादन कार्य
5. विनिमय कोष

अभियान शुरू होने के पहले सभी बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर लिया जाएगा एवं 1 वर्ष के पश्चात्, 2 वर्ष के पश्चात्, 3 वर्ष के पश्चात्, 4 वर्ष के पश्चात् एवं 5 वर्ष के पश्चात्, मूल्यांकन किया जाएगा ।

01. मानवीय शिक्षा-संस्कार :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

1. मानवीय शिक्षा - संस्कार शिक्षण में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या ।
2. लोगों में साक्षरता व सामान्य जानकारी ।

मूल्यांकन का आधार :-

मानवीय शिक्षा संस्कार में पारंगत व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था एवं अस्तित्व में व्यवस्था की समझ से सम्पन्न होते हैं एवं ऐसी समझ के अनुसार जीने में प्रमाणित होते हैं ।

02. स्वास्थ्य संयम :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :-

1. रोगों के प्रकार व रोगी की संख्या ।
2. स्थानीय चिकित्सा से ठीक हुए रोग व रोगी की संख्या ।
3. बाह्य चिकित्सा से स्वस्थ हुए रोग व रोगी की संख्या ।
4. चिकित्सा अभाव से पीड़ित व मृत व्यक्तियों की संख्या ।
5. सामान्य चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

6. विशेष चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

7. पर्यावरण स्वच्छता ।

03. न्याय सुरक्षा :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :-

1. परिवार में सम्बंधों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
2. परिवार में सम्पदा का सदुपयोग करने योग्य व्यक्तियों की संख्या ।
3. परस्पर परिवारों के बीच सम्बंधों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
4. जुआ एवं परधन में प्रयासरत् लोगों की संख्या ।
5. परनारी/परपुरुष प्रवृत्ति व कार्यों में लिप्त व्यक्तियों की संख्या ।
6. परिवार कलह से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
7. ग्राम कलह (जमीन, आवास, सड़क, पानी, पशु नियंत्रण, व घरेलू अशुद्धियों को फेंकने के आधार पर होने वाले विवाद) से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
8. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव में सुलझे ।
9. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव के बाहर सुलझ गये ।
10. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो अब तक अनसुलझे हैं ।
11. विपन्न (गरीब) व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।
12. जनसंख्या एवं उसका नियंत्रण (जन्म दर, मृत्यु दर व अन्य स्थानों से आने वाले या अन्य स्थानों में गये व्यक्तियों की संख्या) ।
13. प्राकृतिक संतुलन (जल, वन, भूमि, औषधि व चारागाह का संरक्षण) ।

04. उत्पादन कार्य :-

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :-

1. श्रम नियोजित करने के लिये मानसिकता से सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम नियोजन के लिये कार्यों को पहचाने हुए व्यक्तियों की संख्या ।
3. निश्चित उत्पादन व सेवा की तकनीकी सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
4. उत्पादन में भागीदारी करते हुए व्यक्तियों की संख्या ।

5. परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन व सेवा करते हुए परिवारों की संख्या ।
6. गांव की कुल आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने का मूल्यांकन ।
7. उत्पादन व सेवा से विमुख व्यक्तियों की संख्या ।
8. न चाहते हुए भी मजबूरीवश उत्पादन व सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
05. विनिमय कोष :-

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :-

1. श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय करने की प्रवृत्ति सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम मूल्य के आधार पर प्रतीक मूल्यों की पहचान ।
3. लाभ-हानि मुक्त विनिमय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले लोगों की संख्या ।
4. गांव की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनिवार्य वस्तुओं के कोष का मूल्यांकन ।
5. लाभ-हानि मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों व परिवारों की संख्या ।

शिक्षा स्रोत

सम्पूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण का स्रोत मध्यस्थ-दर्शन (सह-अस्तित्ववाद) रहेगा । इसके प्रणेता श्री ए. नागराज, अमरकण्टक हैं ।

यह दर्शन चार भागों में है -

(1) मानव व्यवहार दर्शन (2) मानव कर्म दर्शन (3) मानव अभ्यास दर्शन (4) मानव अनुभव दर्शन
के अनुसार सह-अस्तित्ववादी विचार तीन भागों में प्रस्तुत है -

1. समाधानात्मक भौतिकवाद
2. व्यवहारात्मक जनवाद
3. अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

दर्शन और विचारों के आधार पर तीन शास्त्र प्रस्तुत है -

1. मानव संचेतनवादी मनोविज्ञान
2. आवर्तनशील अर्थशास्त्र
3. व्यवहारवादी समाजशास्त्र

दर्शन विचारों व शास्त्रों के आधार पर तीन योजनाएं प्रस्तुत हैं -

1. जीवन विद्या योजना
2. मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना
3. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना

अध्ययन वस्तु/कक्षा	एक	दो	तीन	चार	पांच
1. मानव संबंध	संबंध एवं मूल्यों का सम्बोधन	संबंध एवं मूल्यों की पहचान	संबंधों व मूल्यों का निश्चयन	संबंधों व मूल्यों का निर्वाह	संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन व उभयतृप्ति का प्रमाण
2. नैसर्गिक संबंध	इकाईयों का संबोधन	क्रिया-कलाप के रूप में इकाईयों का पहचान	नाम के साथ इकाईयों की उपयोग की पहचान	संतुलन के रूप में उपयोगिता की पहचान	सभी अवस्थाओं में परस्पर पूरकता की पहचान
3. अस्तित्व में सह-अस्तित्व	अस्तित्व का संबोधन	सह-अस्तित्व की पहचान, स्वीकृति	इकाईयों में क्रियाशील एवं सत्ता, क्रियाशून्यता में व्यापकता	इकाईयों की क्रियाशीलता एवं नियंत्रण	इकाईयों में परस्पर पूरकता, रचना, विरचना व विकास
4. जीवन का स्वरूप	जीवन के बल, शक्तियों का नाम	जीवन शक्तियों (आशा, विचार व इच्छा) की पहचान	चयन, अस्वादन, तुलन विश्लेषण क्रिया की पहचान	चिंतन व चित्रण क्रिया की पहचान	बोध, अनुभव, संकल्प व प्रामाणिकता की पहचान एवं सुख
5. शरीर और स्वास्थ्य संयम	शरीर के अंग प्रत्यंगों का सम्बोधन व पहचान	शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्रयोजन एवं उनकी स्वच्छता	शरीर के ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों के क्रियाकलापों की पहचान, जीवन क्रिया से संबंध	शरीर स्वास्थ्य संयम विधि एवं आंतरिक अवयवों की पहचान	जागृति के अर्थ में शरीर के प्रयोग की पहचान
6. खेल एवं कर्माम्यास	खेल एवं कर्माम्यासों का नाम	खेलों के स्वरूप की पहचान कर्माम्यास के स्वरूप की पहचान	खेलों का प्रयोजन, कर्माम्यास का प्रयोजन	शेल का अभ्यास कर्माम्यास का प्रशिक्षण प्रयोग विधि प्रयोग विधि	खेल, आसन, व्यायाम, प्रणायाम का अभ्यास प्राथमि उपचार, कर्माम्यास औषधियों का कर्माम्यास

ग्राम स्वराज (लोक शक्ति योजना)

प्रस्तुतकर्ता

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

अमरकण्टक

संलग्न : मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना का
अध्ययन क्रम

ग्राम स्वराज— लोक शक्ति योजना परिचय

आज मेघावीयों में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसी लोकशक्ति तैयार हो जो स्वयं अपनी समस्याओं को दूर करें एवं स्वयं ही स्थानीय प्रबंधन कार्य करे । इसके लिये स्थानीय लोगों की समितियां बनायें और उन्हें अधिक अधिकार देने की चर्चा तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गये हैं । पंचायती राज ग्राम स्वराज का सम्पूर्ण कार्यक्रम भी इसी मानसिकता के आधार पर निश्चित किया गया है ।

इस बिन्दु पर हमारा निष्कर्ष यह है कि मनुष्य समझदार होकर ही उपरोक्त कार्य को कर पाता है । जब तक मनुष्य समझदार नहीं हो पाता है जब तक समस्या का ही कारक होता है । समझदार मानव भोग, संग्रह, शोषण, विरोध और विद्रोह मानसिकता से मुक्त होकर सम्पूर्ण व्यवहार करने की क्षमता सम्पन्न होता है एवं मानवीय व्यवस्था के सभी आयामों में भागीदारी करता है ।
कार्य और परिणाम :—

1. स्वायत्त परिवार, स्वायत्त समाज, स्वयं स्फुर्त व्यवस्था की परंपरा ।
2. ग्रामीण अंचल में बौद्धिक और भौतिक विपन्नता उन्मूलन ।
3. मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व व्यवस्था में पिछड़े व्यक्ति के लिये जागृति सहज कार्यक्रम जिससे मौलिक अधिकारों को पहचानकर कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें ।
4. सामाजिक न्याय सुलभता—परस्पर तृप्ति के अर्थ में सार्थक होने का कार्यक्रम— मानव तथा मानवीयता के आधार पर समानता का अनुभव करने के लिये कार्यक्रम ।
5. नशा मुक्ति ।
6. सामान्य रोग (ज्वर, खांसी, सर्दी, पीलीया, अर्जीण आदि) एवं विशेष रोग (दमा, चर्मव्याधि, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, यकृत रोग, रक्तचाप आदि) निवारण ।
7. अनाथ बच्चों को मानवीय व्यवस्था में जीने योग्य कार्यक्रम ।
8. देह—व्यापार मुक्ति ।
9. नर—नारी में समान मौलिक अधिकार स्थापना एवं नारी उत्पीड़न का उन्मूलन ।
10. कैदी और विचाराधीन बंदी के परिवार को सान्त्वना व राहत कार्य ।
11. जनसंख्या नियंत्रण प्रवृत्ति के उदय के लिये कार्यक्रम ।
12. पर्यावरण संतुलन— जल, भूमि, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण द्वारा ।

उद्देश्य

1. प्रत्येक व्यक्ति में समाधान, सामाजिकता और स्वालम्बन प्रमाणित होना :-
 - (अ) समाधान का तात्पर्य स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था का बोध (समझ) होना ।
 - (ब) सामाजिकता का तात्पर्य मानव संबंधों की पहचान, समाज मूल्यों का निर्वाह एवं परस्पर मूल्यांकन पूर्वक उभयतृप्ति प्रमाणित होना ।
 - (स) स्वालम्बन का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और सेवा की मानसिकता एवं व्यावसायिक निपुणता-कुशलता प्रमाणित होना ।
2. प्रत्येक परिवार में समृद्धि प्रमाणित होना । समृद्धि का तात्पर्य परिवार की आवश्यकता से अधिक उपयोगी वस्तुओं को उत्पादन और सेवापूर्वक प्राप्त करना ।
3. समाज में अभय व सह-अस्तित्व प्रमाणित करना ।
 - (अ) अभय का तात्पर्य स्वास्थ्य-संयम सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा व न्याय (व्यक्ति के सम्मान) की सुरक्षा उपलब्ध होना ।
 - (ब) सह-अस्तित्व का तात्पर्य संतुलन को बनाए रखना ।

विधि

शिक्षण व प्रशिक्षण पूर्वक पूर्व उल्लेखित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा । सर्वप्रथम मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक द्वारा शिक्षकों को तैयार किया जाएगा । ऐसे शिक्षक स्थानीय बच्चों का नियमित शिक्षा देंगे एवं युवा प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों को “जीवन विद्या” शिविर द्वारा समाधानित, स्वावलम्बी और साक्षर होने के लिये प्रशिक्षण देंगे । सभी शिक्षक समाधानित, सामाजिक, स्वावलम्बी और साक्षर होंगे । ये शिक्षकगण शिक्षण प्रशिक्षण के लिये वेतन नहीं लेंगे ।

शिक्षक स्वावलम्बी रहकर शिक्षा प्रदान करने के लिये अभिभावक विद्यालय होगा । जिससे स्वावलम्बन के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा । इन्हीं संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों को स्वावलम्बन का प्रशिक्षण देने के लिये किया जायेगा । सभी स्थानीय लोग व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य क्षमता सम्पन्न होने पर पांच समितियां बनाई जायेंगी ।

- (1) शिक्षा संस्कार समिति – यह समिति सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करे ।
- (2) न्याय-सुरक्षा समिति – क्षेत्र के सभी लोगों को न्याय सुलभ कराने एवं प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।
- (3) स्वास्थ्य संयम समिति : स्थानीय सभी लोगों के स्वास्थ्य संयम की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।
- (4) उत्पादन कार्य समिति :- स्थान विशेष में उत्पादन के अवसर, संभावना तथा तकनीकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।
- (5) विनिमय कोष समिति :- शोषण मुक्त विनिमय एवं भविष्य के लिये आवश्यक वस्तुओं का कोष बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी । इन सभी समितियों के सदस्य समाधानित, सामाजिक स्वावलम्बी एवं अवैतानिक होंगे ।

इन सभी समितियों में तालमेल को सुनिश्चित करने के लिये एक सभा का गठन किया जाएगा जिसमें परिवार के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे ।

अभिभावक विद्यालय

शिक्षक :- प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक 20 से 30 विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिये एक शिक्षक का प्रावधान होगा ।

संसाधन :-

1. प्राथमिक शाला के छः कमरों का विद्यालय भवन ।
2. न्यूनतम छः शिक्षकों को सपरिवार रहने के लिये आवासीय व्यवस्था ।
3. कर्मशाला ।
4. गोशाला दुधारू गाय व बैल सहित ।
5. 20-25 एकड़ कृषि योग्य भूमि ।
6. कृषि के सामान्य यंत्र और उपकरण ।
7. जल व विद्युत की सुविधा ।
8. गोबर गैस संयंत्र, और ऊर्जा, पवन शक्ति यंत्र सौर उपकरण ।

इन संसाधनों का स्वामित्व “अभिभावक विद्यालय” का होगा । यह किसी की निजी सम्पत्ति नहीं होगी ।

विद्यालय स्थापित होने के बाद इसकी सुरक्षा व देखभाल का दायित्व शिक्षा- संस्कार समिति का होगा । स्थानीय प्रत्येक परिवार इसे बनाए रखने के लिये एक न्यूनतम राशि देकर भागीदारी का निर्वाह करेंगे ।

कार्य और योजना

लोक शक्ति योजना पांच चरणों में पूरी होगी ।

प्रथम चरण :-

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वक स्थानीय शिक्षकों को तैयार करेगा । प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर सामान्यतः 5 शिक्षक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होगा । प्रथम चरण में ही अभिभावक विद्यालय का निर्माण पूरा होगा । अनुमानित समय— एक वर्ष

द्वितीय चरण :-

प्रशिक्षित शिक्षक एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक साथ मिलकर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेंगे ।

(अ) शाला में विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक) दी जायेगी । प्रथम वर्ष में एक साथ कक्षा और एक और दो प्रारम्भ किया जायेगा । प्रत्येक वर्ष एक-एक कक्षा बढ़ाते हुए 4 वर्षों में कक्षा 5 तक शिक्षण कार्य सम्पन्न होगा ।

(ब) शिक्षकगण स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करेंगे । क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रहेगा ।

अनुमानित समय— 2 वर्ष

तृतीय चरण :-

स्थानीय प्रशिक्षित लोक शक्ति, प्रशिक्षित शिक्षक और मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगे :-

(1) न्याय सुरक्षा समिति

(2) स्वास्थ्य संयम समिति

(प्रथम चरण के बाद ही शिक्षकों के रूप में शिक्षा संस्कार समिति कार्यरत् हो पाएगी ।)

अनुमानित समय — 1 वर्ष

चतुर्थ चरण :-

पूर्व में निर्धारित तीनों समितियों एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगे ।

(1) उत्पादन कार्य समिति

(2) विनिमय कोष समिति

अनुमानित समय — एक वर्ष

पंचम चरण :-

पांचों समितियां एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर "स्थानीय सभा" का गठन करेंगे । स्थानीय सभा व पांचों समितियों के सदस्य मिलकर व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य स्वयं स्फुर्त विधि से करेंगे ।

मूल्यांकन

मूल्यांकन पांच बिन्दु पर किए जायेंगे :-

1. शिक्षा संस्कार
2. स्वास्थ्य संयम
3. न्याय सुरक्षा
4. उत्पादन कार्य
5. विनिमय कोष

अभियान शुरू होने के पहले सभी बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर लिया जाएगा एवं 1 वर्ष के पश्चात्, 2 वर्ष के पश्चात्, 3 वर्ष के पश्चात्, 4 वर्ष के पश्चात् एवं 5 वर्ष के पश्चात्, मूल्यांकन किया जाएगा ।

01. मानवीय शिक्षा-संस्कार :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

1. मानवीय शिक्षा – संस्कार शिक्षण में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या ।
2. लोगों में साक्षरता व सामान्य जानकारी ।

मूल्यांकन का आधार :-

मानवीय शिक्षा संस्कार में पारंगत व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था एवं अस्तित्व में व्यवस्था की समझ से सम्पन्न होते हैं एवं ऐसी समझ के अनुसार जीने में प्रमाणित होते हैं ।

02. स्वास्थ्य संयम :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :-

1. रोगों के प्रकार व रोगी की संख्या ।
2. स्थानीय चिकित्सा से ठीक हुए रोग व रोगी की संख्या ।
3. बाह्य चिकित्सा से स्वस्थ हुए रोग व रोगी की संख्या ।
4. चिकित्सा अभाव से पीड़ित व मृत व्यक्तियों की संख्या ।
5. सामान्य चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

6. विशेष चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

7. पर्यावरण स्वच्छता ।

03. न्याय सुरक्षा :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :-

1. परिवार में सम्बंधों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
2. परिवार में सम्पदा का सदुपयोग करने योग्य व्यक्तियों की संख्या ।
3. परस्पर परिवारों के बीच सम्बन्धों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
4. जुआ एवं परधन में प्रयासरत् लोगों की संख्या ।
5. परनारी/परपुरुष प्रवृत्ति व कार्यों में लिप्त व्यक्तियों की संख्या ।
6. परिवार कलह से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
7. ग्राम कलह (जमीन, आवास, सड़क, पानी, पशु नियंत्रण, व घरेलू अशुद्धियों को फेंकने के आधार पर होने वाले विवाद) से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
8. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव में सुलझे ।
9. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव के बाहर सुलझ गये ।
10. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो अब तक अनसुलझे हैं ।
11. विपन्न (गरीब) व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।
12. जनसंख्या एवं उसका नियंत्रण (जन्म दर, मृत्यु दर व अन्य स्थानों से आने वाले या अन्य स्थानों में गये व्यक्तियों की संख्या) ।
13. प्राकृतिक संतुलन (जल, वन, भूमि, औषधि व चारागाह का संरक्षण) ।

04. उत्पादन कार्य :-

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :-

1. श्रम नियोजित करने के लिये मानसिकता से सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम नियोजन के लिये कार्यों को पहचाने हुए व्यक्तियों की संख्या ।
3. निश्चित उत्पादन व सेवा की तकनीकी सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
4. उत्पादन में भागीदारी करते हुए व्यक्तियों की संख्या ।

5. परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन व सेवा करते हुए परिवारों की संख्या ।
6. गांव की कुल आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने का मूल्यांकन ।
7. उत्पादन व सेवा से विमुख व्यक्तियों की संख्या ।
8. न चाहते हुए भी मजबूरीवश उत्पादन व सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
05. विनिमय कोष :-

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :-

1. श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय करने की प्रवृत्ति सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम मूल्य के आधार पर प्रतीक मूल्यों की पहचान ।
3. लाभ-हानि मुक्त विनिमय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले लोगों की संख्या ।
4. गांव की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनिवार्य वस्तुओं के कोष का मूल्यांकन ।
5. लाभ-हानि मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों व परिवारों की संख्या ।

शिक्षा स्रोत

सम्पूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण का स्रोत मध्यस्थ-दर्शन (सह-अस्तित्ववाद) रहेगा । इसके प्रणेता श्री ए. नागराज, अमरकण्टक हैं ।

यह दर्शन चार भागों में हैं -

(1) मानव व्यवहार दर्शन (2) मानव कर्म दर्शन (3) मानव अभ्यास दर्शन (4) मानव अनुभव दर्शन के अनुसार सह-अस्तित्ववादी विचार तीन भागों में प्रस्तुत है -

1. समाधानात्मक भौतिकवाद
2. व्यवहारात्मक जनवाद
3. अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

दर्शन और विचारों के आधार पर तीन शास्त्र प्रस्तुत है -

1. मानव संचेतनवादी मनोविज्ञान
2. आवर्तनशील अर्थशास्त्र
3. व्यवहारवादी समाजशास्त्र

दर्शन विचारों व शास्त्रों के आधार पर तीन योजनाएं प्रस्तुत हैं -

1. जीवन विद्या योजना
2. मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना
3. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना

अध्ययन वस्तु/कक्षा	एक	दो	तीन	चार	पांच
1. मानव संबंध	संबंध एवं मूल्यों का सम्बोधन	संबंध एवं मूल्यों की पहचान	संबंधों व मूल्यों का निश्चयन	संबंधों व मूल्यों का निर्वाह	संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन व उभयतृप्ति का प्रमाण
2. नैसर्गिक संबंध	इकाईयों का संबोधन	क्रिया-कलाप के रूप में इकाईयों का पहचान	नाम के साथ इकाईयों की उपयोग की पहचान	संतुलन के रूप में उपयोगिता की पहचान	सभी अवस्थाओं में परस्पर पूरकता की पहचान
3. अस्तित्व में सह-अस्तित्व	अस्तित्व का संबोधन	सह-अस्तित्व की पहचान, स्वीकृति	इकाईयों में क्रियाशील एवं सत्ता, क्रियाशून्यता में व्यापकता	इकाईयों की क्रियाशीलता एवं नियंत्रण	इकाईयों में परस्पर पूरकता, रचना, विरचना व विकास
4. जीवन का स्वरूप	जीवन के बल, शक्तियों का नाम	जीवन शक्तियों (आशा, विचार व इच्छा) की पहचान	चयन, अस्वादन, तुलन विश्लेषण क्रिया की पहचान	चिंतन व चित्रण क्रिया की पहचान	बोध, अनुभव, संकल्प व प्रामाणिकता की पहचान एवं सुख
5. शरीर और स्वास्थ्य संयम	शरीर के अंग प्रत्यंगों का संबोधन व पहचान	शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्रयोजन एवं उनकी स्वच्छता	शरीर के ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों के क्रियाकलापों की पहचान, जीवन क्रिया से संबंध	शरीर स्वास्थ्य संयम विधि एवं आंतरिक अवयवों की पहचान	जामृति के अर्थ में शरीर के प्रयोग की पहचान
6. खेल एवं कर्माम्यास	खेल एवं कर्माम्यासों का नाम	खेलों के स्वरूप की पहचान कर्माम्यास के स्वरूप की पहचान	खेलों का प्रयोजन, कर्माम्यास का प्रयोजन	शेल् का अभ्यास कर्माम्यास का प्रशिक्षण प्रयोग विधि प्रयोग विधि	खेल, आसन, व्यायाम, प्रणायाम का अभ्यास प्राथमि उपचार, कर्माम्यास औषधियों का कर्माम्यास

ग्राम स्वराज (लोक शक्ति योजना)

प्रस्तुतकर्ता
मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
अमरकण्टक

संलग्न : मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना का
अध्ययन क्रम

ग्राम स्वराज— लोक शक्ति योजना परिचय

आज मेघावीयों में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसी लोकशक्ति तैयार हो जो स्वयं अपनी समस्याओं को दूर करें एवं स्वयं ही स्थानीय प्रबंधन कार्य करे । इसके लिये स्थानीय लोगों की समितियां बनायें और उन्हें अधिक अधिकार देने की चर्चा तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गये हैं । पंचायती राज ग्राम स्वराज का सम्पूर्ण कार्यक्रम भी इसी मानसिकता के आधार पर निश्चित किया गया है ।

इस बिन्दु पर हमारा निष्कर्ष यह है कि मनुष्य समझदार होकर ही उपरोक्त कार्य को कर पाता है । जब तक मनुष्य समझदार नहीं हो पाता है जब तक समस्या का ही कारक होता है । समझदार मानव भोग, संग्रह, शोषण, विरोध और विद्रोह मानसिकता से मुक्त होकर सम्पूर्ण व्यवहार करने की क्षमता सम्पन्न होता है एवं मानवीय व्यवस्था के सभी आयामों में भागीदारी करता है ।
कार्य और परिणाम :—

1. स्वायत्त परिवार, स्वायत्त समाज, स्वयं स्फूर्त व्यवस्था की परंपरा ।
2. ग्रामीण अंचल में बौद्धिक और भौतिक विपन्नता उन्मूलन ।
3. मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व व्यवस्था में पिछड़े व्यक्ति के लिये जागृति सहज कार्यक्रम जिससे मौलिक अधिकारों को पहचानकर कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें ।
4. सामाजिक न्याय सुलभता—परस्पर तृप्ति के अर्थ में सार्थक होने का कार्यक्रम— मानव तथा मानवीयता के आधार पर समानता का अनुभव करने के लिये कार्यक्रम ।
5. नशा मुक्ति ।
6. सामान्य रोग (ज्वर, खांसी, सर्दी, पीलीया, अर्जीण आदि) एवं विशेष रोग (दमा, चर्मव्याधि, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, यकृत रोग, रक्तचाप आदि) निवारण ।
7. अनाथ बच्चों को मानवीय व्यवस्था में जीने योग्य कार्यक्रम ।
8. देह—व्यापार मुक्ति ।
9. नर—नारी में समान मौलिक अधिकार स्थापना एवं नारी उत्पीड़न का उन्मूलन ।
10. कैदी और विचाराधीन बंदी के परिवार को सान्त्वना व राहत कार्य ।
11. जनसंख्या नियंत्रण प्रवृत्ति के उदय के लिये कार्यक्रम ।
12. पर्यावरण संतुलन— जल, भूमि, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण द्वारा ।

उद्देश्य

1. प्रत्येक व्यक्ति में समाधान, सामाजिकता और स्वालम्बन प्रमाणित होना :-
 - (अ) समाधान का तात्पर्य स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था का बोध (समझ) होना ।
 - (ब) सामाजिकता का तात्पर्य मानव संबंधों की पहचान, समाज मूल्यों का निर्वाह एवं परस्पर मूल्यांकन पूर्वक उभयतृप्ति प्रमाणित होना ।
 - (स) स्वालम्बन का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और सेवा की मानसिकता एवं व्यावसायिक निपुणता-कुशलता प्रमाणित होना ।
2. प्रत्येक परिवार में समृद्धि प्रमाणित होना । समृद्धि का तात्पर्य परिवार की आवश्यकता से अधिक उपयोगी वस्तुओं को उत्पादन और सेवापूर्वक प्राप्त करना ।
3. समाज में अभय व सह-अस्तित्व प्रमाणित करना ।
 - (अ) अभय का तात्पर्य स्वास्थ्य-संयम सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा व न्याय (व्यक्ति के सम्मान) की सुरक्षा उपलब्ध होना ।
 - (ब) सह-अस्तित्व का तात्पर्य संतुलन को बनाए रखना ।

विधि

शिक्षण व प्रशिक्षण पूर्वक पूर्व उल्लेखित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा । सर्वप्रथम मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक द्वारा शिक्षकों को तैयार किया जाएगा । ऐसे शिक्षक स्थानीय बच्चों का नियमित शिक्षा देंगे एवं युवा प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों को “जीवन विद्या” शिविर द्वारा समाधानित, स्वावलम्बी और साक्षर होने के लिये प्रशिक्षण देंगे । सभी शिक्षक समाधानित, सामाजिक, स्वावलम्बी और साक्षर होंगे । ये शिक्षकगण शिक्षण प्रशिक्षण के लिये वेतन नहीं लेंगे ।

शिक्षक स्वावलम्बी रहकर शिक्षा प्रदान करने के लिये अभिभावक विद्यालय होगा । जिससे स्वावलम्बन के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा । इन्हीं संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों को स्वावलम्बन का प्रशिक्षण देने के लिये किया जायेगा । सभी स्थानीय लोग व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य क्षमता सम्पन्न होने पर पांच समितियां बनाई जायेंगी ।

- (1) शिक्षा संस्कार समिति – यह समिति सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करे ।
- (2) न्याय-सुरक्षा समिति – क्षेत्र के सभी लोगों को न्याय सुलभ कराने एवं प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।
- (3) स्वास्थ्य संयम समिति : स्थानीय सभी लोगों के स्वास्थ्य संयम की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।
- (4) उत्पादन कार्य समिति :- स्थान विशेष में उत्पादन के अवसर, संभावना तथा तकनीकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।
- (5) विनिमय कोष समिति :- शोषण मुक्त विनिमय एवं भविष्य के लिये आवश्यक वस्तुओं का कोष बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी । इन सभी समितियों के सदस्य समाधानित, सामाजिक स्वावलम्बी एवं अवैतानिक होंगे ।

इन सभी समितियों में तालमेल को सुनिश्चित करने के लिये एक सभा का गठन किया जाएगा जिसमें परिवार के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे ।

अभिभावक विद्यालय

शिक्षक :- प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक 20 से 30 विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिये एक शिक्षक का प्रावधान होगा ।

संसाधन :-

1. प्राथमिक शाला के छः कमरों का विद्यालय भवन ।
2. न्यूनतम छः शिक्षकों को सपरिवार रहने के लिये आवासीय व्यवस्था ।
3. कर्मशाला ।
4. गोशाला दुधारू गाय व बैल सहित ।
5. 20-25 एकड़ कृषि योग्य भूमि ।
6. कृषि के सामान्य यंत्र और उपकरण ।
7. जल व विद्युत की सुविधा ।
8. गोबर गैस संयंत्र, और ऊर्जा, पवन शक्ति यंत्र सौर उपकरण ।

इन संसाधनों का स्वामित्व "अभिभावक विद्यालय" का होगा । यह किसी की निजी सम्पत्ति नहीं होगी ।

विद्यालय स्थापित होने के बाद इसकी सुरक्षा व देखभाल का दायित्व शिक्षा- संस्कार समिति का होगा । स्थानीय प्रत्येक परिवार इसे बनाए रखने के लिये एक न्यूनतम राशि देकर भागीदारी का निर्वाह करेंगे ।

कार्य और योजना

लोक शक्ति योजना पांच चरणों में पूरी होगी ।

प्रथम चरण :-

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वक स्थानीय शिक्षकों को तैयार करेगा । प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर सामान्यतः 5 शिक्षक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होगा । प्रथम चरण में ही अभिभावक विद्यालय का निर्माण पूरा होगा ।
अनुमानित समय— एक वर्ष

द्वितीय चरण :-

प्रशिक्षित शिक्षक एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक साथ मिलकर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेंगे ।

(अ) शाला में विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक) दी जायेगी । प्रथम वर्ष में एक साथ कक्षा और एक और दो प्रारम्भ किया जायेगा । प्रत्येक वर्ष एक-एक कक्षा बढ़ाते हुए 4 वर्षों में कक्षा 5 तक शिक्षण कार्य सम्पन्न होगा ।

(ब) शिक्षकगण स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करेंगे । क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रहेगा ।

अनुमानित समय— 2 वर्ष

तृतीय चरण :-

स्थानीय प्रशिक्षित लोक शक्ति, प्रशिक्षित शिक्षक और मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगे :-

(1) न्याय सुरक्षा समिति (2) स्वास्थ्य संयम समिति
(प्रथम चरण के बाद ही शिक्षकों के रूप में शिक्षा संस्कार समिति कार्यरत् हो पाएगी ।)

अनुमानित समय — 1 वर्ष

चतुर्थ चरण :-

पूर्व में निर्धारित तीनों समितियों एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगे ।

(1) उत्पादन कार्य समिति (2) विनिमय कोष समिति

अनुमानित समय — एक वर्ष

पंचम चरण :-

पांचों समितियां एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक के शिक्षक मिलकर "स्थानीय समा" का गठन करेंगे । स्थानीय समा व पांचों समितियों के सदस्य मिलकर व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य स्वयं स्फुर्त विधि से करेंगे ।

मूल्यांकन

मूल्यांकन पांच बिन्दु पर किए जायेंगे :-

1. शिक्षा संस्कार
2. स्वास्थ्य संयम
3. न्याय सुरक्षा
4. उत्पादन कार्य
5. विनिमय कोष

अभियान शुरू होने के पहले सभी बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर लिया जाएगा एवं 1 वर्ष के पश्चात्, 2 वर्ष के पश्चात्, 3 वर्ष के पश्चात्, 4 वर्ष के पश्चात् एवं 5 वर्ष के पश्चात्, मूल्यांकन किया जाएगा ।

01. मानवीय शिक्षा-संस्कार :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

1. मानवीय शिक्षा - संस्कार शिक्षण में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या ।
2. लोगों में साक्षरता व सामान्य जानकारी ।

मूल्यांकन का आधार :-

मानवीय शिक्षा संस्कार में पारंगत व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था एवं अस्तित्व में व्यवस्था की समझ से सम्पन्न होते हैं एवं ऐसी समझ के अनुसार जीने में प्रमाणित होते हैं ।

02. स्वास्थ्य संयम :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :-

1. रोगों के प्रकार व रोगी की संख्या ।
2. स्थानीय चिकित्सा से ठीक हुए रोग व रोगी की संख्या ।
3. बाह्य चिकित्सा से स्वस्थ हुए रोग व रोगी की संख्या ।
4. चिकित्सा अभाव से पीड़ित व मृत व्यक्तियों की संख्या ।
5. सामान्य चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

6. विशेष चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

7. पर्यावरण स्वच्छता ।

03. न्याय सुरक्षा :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :-

1. परिवार में सम्बंधों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
2. परिवार में सम्पदा का सदुपयोग करने योग्य व्यक्तियों की संख्या ।
3. परस्पर परिवारों के बीच सम्बन्धों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
4. जुआ एवं परधन में प्रयासरत् लोगों की संख्या ।
5. परनारी/परपुरुष प्रवृत्ति व कार्यों में लिप्त व्यक्तियों की संख्या ।
6. परिवार कलह से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
7. ग्राम कलह (जमीन, आवास, सड़क, पानी, पशु नियंत्रण, व घरेलू अशुद्धियों को फेंकने के आधार पर होने वाले विवाद) से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
8. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव में सुलझे ।
9. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव के बाहर सुलझ गये ।
10. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो अब तक अनसुलझे हैं ।
11. विपन्न (गरीब) व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।
12. जनसंख्या एवं उसका नियंत्रण (जन्म दर, मृत्यु दर व अन्य स्थानों से आने वाले या अन्य स्थानों में गये व्यक्तियों की संख्या) ।
13. प्राकृतिक संतुलन (जल, वन, भूमि, औषधि व चारागाह का संरक्षण) ।

04. उत्पादन कार्य :-

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :-

1. श्रम नियोजित करने के लिये मानसिकता से सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम नियोजन के लिये कार्यों को पहचाने हुए व्यक्तियों की संख्या ।
3. निश्चित उत्पादन व सेवा की तकनीकी सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
4. उत्पादन में भागीदारी करते हुए व्यक्तियों की संख्या ।

5. परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन व सेवा करते हुए परिवारों की संख्या ।
6. गांव की कुल आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने का मूल्यांकन ।
7. उत्पादन व सेवा से विमुख व्यक्तियों की संख्या ।
8. न चाहते हुए भी मजबूरीवश उत्पादन व सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।

05. विनिमय कोष :-

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :-

1. श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय करने की प्रवृत्ति सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम मूल्य के आधार पर प्रतीक मूल्यों की पहचान ।
3. लाभ-हानि मुक्त विनिमय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले लोगों की संख्या ।
4. गांव की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनिवार्य वस्तुओं के कोष का मूल्यांकन ।
5. लाभ-हानि मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों व परिवारों की संख्या ।

शिक्षा स्रोत

सम्पूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण का स्रोत मध्यस्थ-दर्शन (सह-अस्तित्ववाद) रहेगा । इसके प्रणेता श्री ए. नागराज, अमरकण्टक हैं ।

यह दर्शन चार भागों में हैं -

(1) मानव व्यवहार दर्शन (2) मानव कर्म दर्शन (3) मानव अभ्यास दर्शन (4) मानव अनुभव दर्शन के अनुसार सह-अस्तित्ववादी विचार तीन भागों में प्रस्तुत है -

1. समाधानात्मक भौतिकवाद
2. व्यवहारात्मक जनवाद
3. अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

दर्शन और विचारों के आधार पर तीन शास्त्र प्रस्तुत है -

1. मानव संचेतनवादी मनोविज्ञान
2. आवर्तनशील अर्थशास्त्र
3. व्यवहारवादी समाजशास्त्र

दर्शन विचारों व शास्त्रों के आधार पर तीन योजनाएं प्रस्तुत हैं -

1. जीवन विद्या योजना
2. मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना
3. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना

अध्ययन वस्तु/कक्षा	एक	दो	तीन	चार	पांच
1. मानव संबंध	संबंध एवं मूल्यों का सम्बोधन	संबंध एवं मूल्यों की पहचान	संबंधों व मूल्यों का निश्चयन	संबंधों व मूल्यों का निर्वाह	संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन व उन्मयतृप्ति का प्रमाण
2. नैसर्गिक संबंध	इकाईयों का संबोधन	क्रिया-कलाप के रूप में इकाईयों का पहचान	नाम के साथ इकाईयों की उपयोग की पहचान	संतुलन के रूप में उपयोगिता की पहचान	सभी अवस्थाओं में परस्पर पूरकता की पहचान
3. अस्तित्व में सह-अस्तित्व	अस्तित्व का संबोधन	सह-अस्तित्व की पहचान, स्वीकृति	इकाईयों में क्रियाशील एवं सत्ता, क्रियाशून्यता में व्यापकता	इकाईयों की क्रियाशीलता एवं नियंत्रण	इकाईयों में परस्पर पूरकता, रचना, विरचना व विकास
4. जीवन का स्वरूप	जीवन के बल, शक्तियों का नाम	जीवन शक्तियों (आशा, विचार व इच्छा) की पहचान	चयन, अस्वादन, तुलन विश्लेषण क्रिया की पहचान	चिंतन व चित्रण क्रिया की पहचान	बोध, अनुभव, संकल्प व प्रामाणिकता की पहचान एवं सुख
5. शरीर और स्वास्थ्य संयम	शरीर के अंग प्रत्यंगों का सम्बोधन व पहचान	शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्रयोजन एवं उनकी स्वच्छता	शरीर के ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों के क्रियाकलापों की पहचान, जीवन क्रिया से संबंध	शरीर स्वास्थ्य संयम विधि एवं आंतरिक अवयवों की पहचान	जागृति के अर्थ में शरीर के प्रयोग की पहचान
6. खेल एवं कर्माम्बास	खेल एवं कर्माम्बासों का नाम	खेलों के स्वरूप की पहचान कर्माम्बास के स्वरूप की पहचान	खेलों का प्रयोजन, कर्माम्बास का प्रयोजन	शैल का अम्बास कर्माम्बास का प्रशिक्षण प्रयोग विधि प्रयोग विधि	खेल, आसन, व्यायाम, प्रणायाम का अम्बास प्राथमि उपचार, कर्माम्बास औषधियों का कर्माम्बास